DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS----------DATED----------

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI *
THURSDAY, JUNE 30, 2022

PWD gets into war mode, adds more measures to fight monsoon flooding

Siddhanta Mishra
@timesgroup.com

New Delhi: Bracing for the arrival of the monsoon, the Public Works Department has issued a flood control order detailing responsibilities of its staff and the measures in place to avoid flooding in the city.

With monsoon likely to set in a couple of days, for which the department has been preparing for months, a few new steps have been taken to prevent waterlogging.

KEEPING A CHECK

- 2,064 km drains along PWD roads
- 165 waterlogging hotspots
- CCTVs at pump houses
- 45 assistant engineers deployed to watch out for flooding

The first step in the action plan is desilting of drains, which officials claim would be completed before the onset of monsoon and continue till the end of the rainy season. Pumping of water in storm water drains is another measure being taken up. All pumps would be made functional and senior PWD officials along with other departments would inspect waterlogging hotspots shared by traffic police. PWD has improved the alert mechanism at critical locations with the help of CCTV cameras in pump houses for monitoring a rise in the water level. Hooters and flashlights have been connected to water level indicators in sumps so they can alert pump operators. Automatic pumps have been installed for the first time this year. Pump operators would also be available round the clock. Mobile pumping sets would be kept under the charge of the executive engineers. A coordination committee comprising PWD, MCD, DDA, DJB, railways, NHAI, DUSIB and others has been formed to desilt storm water drains and sewers, inspect other works and address inter-departmental issues.

The central control room has been set up at PWD headquarters near the engineer-in-chief's office. People can lodge complaints on 011-23490323 and the toll-free number 1800110093 round the clock. All executive engineers have been instructed to place emergency maintenance vans and mobile pumping units near vulnerable locations.

दैनिक जागरण नई दिल्ली, 30 जून, 2022

वर्षा जल संचयन व यातायात जाम पर हाई कोर्ट ने लिया स्वत : संज्ञान

- केंद्र, दिल्ली सरकार के साथ स्थानीय एजेंसियों को जारी किया नोटिस
- दोनों मुद्दों पर उठाए गए कदमों की जानकारी पेश करने का दिया निर्देश

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: वर्षा जल संचयन और मानसून के दौरान दिल्ली में यातायात जाम के मुद्दे का स्वतः संज्ञान लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र व दिल्ली सरकार समेत अभी स्थानीय एजेंसियों से जवाब मांगा है। अखबार में प्रकाशित खबर का संज्ञान लेते हुए न्यायमूर्ति जसमीत सिंह व न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की पीठ ने जनहित याचिका शुरू की। साथ ही वर्षा के पानी का सही तरीके से संचयन नहीं होने के मामले पर केंद्र व दिल्ली सरकार के साथ दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), नगर निगम आयुक्त, पीडब्ल्यूडी के प्रधान सचिव, यातायात पुलिस को नोटिस जारी किया है। पीठ ने इसके अलावा दिल्ली छावनी परिषद, नगर निगम पालिका परिषद, जल बोर्ड को भी नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा।

पीठ ने कहा कि सभी पक्षकार विशेष तौर पर दो बिंदु पर अपनी रिपोर्ट दाखिल करें। रिपोर्ट में यह बताएं कि एजेंसियों द्वारा वर्षा जल को संग्रहीत करने और संचयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? साथ ही यह भी बताएं कि मानसून और अन्य अवधि के दौरान दिल्ली में यातायात जाम से होने वाली परेशानी को दूर करने और कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए। पीठ ने इस दौरान वर्षा जल संचयन के प्रयासों की कमी पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि दिल्ली में भारी यातायात जाम है। वर्षा जल प्रबंधन के साथ-साथ यातायात जाम की स्थिति बताने वाले गूगल मैप्स की सहायता से यातायात जाम की समस्या को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। पीठ ने कहा कि यह सार्वजनिक महत्व का मामला है और अधिकारी अपनी रिपोर्ट पेश करें। साथ ही मामले को चार जुलाई को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष विचार के लिए सूचीबद्ध करने को कहा।

हिन्दुस्तान

अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम के पश्चिम जोन में बुधवार को निगम के दस्ते ने हरि नगर नाले से अतिक्रमण को लेकर अभियान शुरू किया। अभियान के साथ ही जोन के उपायुक्त ने निगम स्कूल खुलने से पहले स्कूलों की तैयारी को लेकर निरीक्षण भी किया। स्थानीय नागरिक नमन ने बताया कि इलाके में नाले की सफाई न होने की वजह से बीते साल हरि नगर के सीडी ब्लॉक डीडीए फ्लैटों में जलभराव हो गया था।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS----------DATED----------

• 30 जून • 2022 | राष्ट्रीय सहारा

वर्षा जल संचयन व ट्रैफिक जाम से निपटने को लेकर क्या कदम उठाए

नई दिल्ली (एसएनबी)। दिल्ली हाईकोर्ट ने मॉनसून के दौरान और साल के अन्य महीनों में राष्ट्रीय राजधानी में वर्षा जल संचय करने और ट्रैफिक जाम में कमी लाने के विषय पर केंद्र और दिल्ली सरकार तथा स्थानीय प्राधिकरणों को अपना रुख बताने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की अध्यक्षता वाली पीठ ने मीडिया में आई खबरों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि यह लोकहित का मुद्दा है। इसके साथ ही पीठ ने केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय व सड़क परिवहन मंत्रालय, दिल्ली सरकार, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), निगमायुक्त, लोक कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव, पुलिस आयुक्त व विशेष यातायात पुलिस आयुक्त, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली छावनी बोर्ड, नई दिल्ली नगर पालिक परिषद (एनडीएमसी) एवं बाढ़ एवं सिंचाई विभाग को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। पीठ के सदस्यों में न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा भी शामिल है।

न्यायमूर्ति जसमीत सिंह व न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की पीठ ने कहा कि यह

जनहित से जुड़े मुद्दे पर हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान

जनहित से जुड़ा मामला है। इसपर केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय व सड़क परिवहन मंत्रालय, दिल्ली सरकार, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), निगमायुक्त, लोक कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव, पुलिस आयुक्त व विशेष यातायात पुलिस आयुक्त, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली छावनी बोर्ड, नई दिल्ली नगर पालिक परिषद (एनडीएमसी) एवं बाढ़ एवं सिंचाई विभाग से जवाब मांगा है।

पीठ ने सभी से अपना रुख स्पष्ट करने एवं उसको लेकर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहते हुए सुनवाई 4 जुलाई के लिए स्थगित कर दी। उसने पक्षकारों से वर्षा जल संचयन को लेकर उठाए गए कदमों की जानकारी देने को कहा है। साथ ही यह बताने को कहा है कि मानसून व अन्य महीनों में यातायात जाम से होने वाली परेशानी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। पीठ ने इस दौरान वर्षा जल संचयन के प्रयासों की कमी पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि दिल्ली में ट्रैफिक जाम की बड़ी समस्या है। हमारे हिसाब से उसपर आसानी से नियंत्रण और विनियमन वर्षा जल प्रबंधन के साथ-साथ गूगल मैप की सहायता से किया जा सकता है। अगले सुनवाई के दिन इस मामले पर मुख्य न्यायाधीश की पीठ सुनवाई करेंगे।

अमर उजाला

जाम के मुद्दे पर केंद्र सरकार से जवाब तलब

नई दिल्ली। उच्च न्यायालय ने मानसून और अन्य अवधियों के दौरान राजधानी में वर्षा जल संचयन और ट्रैफ़िक जाम को कम करने के मुद्दे पर केंद्र, दिल्ली सरकार और स्थानीय अधिकारियों से जवाब मांगा है।

न्यायमूर्ति जसमीत सिंह व न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की पीठ ने एक समाचार रिपोर्ट के आधार पर मुद्दों का स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि यह सार्वजनिक महत्व का मामला है और अधिकारियों को अपनी स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। केंद्र और दिल्ली सरकार के साथ-साथ दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। अदालत ने लोक निर्माण विभाग, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली छावनी बोर्ड, एनडीएमसी और बाढ़ सिंचाई विभाग को भी नोटिस जारी किया और निर्देश दिया कि मामले को 4 जुलाई को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष विचार के लिए सूचीबद्ध किया जाए। ब्यूरो